रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323] नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2010/ज्येष्ठ 19, 1932
No. 323] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2010/JYAISTHA 19, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2010

सा.का.नि. 488(अ).—खाद्य अपमिश्रण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, कतिपय नियमों का प्रारूप भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 43 (अ), तारीख 22 जनवरी, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलबध करवादी गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जन साधारण को तारीख 30 जनवरी, 2009 को उपलब्ध करवा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जन साधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति के साथ परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 है ।

(ii) ये नियम 2 के सिवाय, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के पश्चात् प्रवृत्त होगा, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 42 में, उपनियम (यययय)(25) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(यययय)(26) पालीओलस वाले खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगाया जाएगा :--

पालीओलस का मृदुरेचक प्रभाव हो सकेगा

(यययय)(27) पालीडेक्स्ट्रोज वाले खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगाया जाएगा :--

पालीडेक्स्ट्रोज का मृदुरेचक प्रभाव हो सकेगा

" ।

3. उक्त नियमों के नियम 47 में,-

(1) उपनियम (1) में,-

(क) सारणी में,-

(i) एस्परटेम (मेथिल एस्टर) से संबंधित क्रम सं0 2 के सामने स्तंभ 3 और स्तंभ 4 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

3	4
"फल मकरन्द	600 पीपीएम
सब्जी मकरन्द	600 पीपीएम
आइस्क्रीम, फ्रोजेन डेजर्ट और पुडिंग	1000 पीपीएम
सुरुचिकारित दूध	600 पीपीएम
परोसने के लिए तैयार चाय और काफी पेय	600 पीपीएम
योगहर्ट	600 पीपीएम
खाने के लिए तैयार अनाज	1000 पीपीएम
नान-कार्बोनेटीकृत जल आधारित पेय (नान-अल्कोहलिक)	600 पीपीएम";

(ii) एससल्फेम पोटाशियम से संबंधित क्रम सं0 3 के सामने स्तंभ 3 और स्तंभ 4 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

3	4
"नान-कार्बोनेटीकृत जल आधारित पेय (नान-अल्कोहलिक)	300 पीपीएम";

(iii) सुक्रालूज से संबंधित क्रम सं0 4 के सामने स्तंभ 3 और स्तंभ 4 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

3	4
"नान-कार्बोनेटीकृत जल आधारित पेय (नान-अल्कोहलिक)	300 पीपीएम
जेली क्रिस्टल	*300 पीपीएम
कस्टर्ड पाउडर / खाने के लिए तैयार कस्टर्ड डेजर्ट	*260 पीपीएम
चाकलेट	800 पीपीएम";

(iv) क्रम सं0 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
"5	नियोटेम	कार्बोनेटीकृत जल मृदुपेय सान्द्र	33 पीपीएम *33 पीपीएम";

(ख) सारणी के पश्चात् स्पष्टीकरण 2 में "मृदु पेय सांद्र में कृत्रिम मीठा करने वाले पदार्थ की अधिकतम सीमा" शब्दों से प्रारंभ होने वाला और "उत्पादों के पुनर्गठित के लिए स्पष्ट अनुदेश होगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"उत्पाद में कृत्रिम मीठा करने वाले पदार्थ की अधिकतम सीमा वह होगी, जो यथास्थिति, पुनर्गठित पेय या खाद्य या अंतिम पेय अथवा उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ में होती है । उत्पाद लेबल पर यथास्थिति अंतिम पेय या उपभोग के लिए खाद्य पदार्थ बनाने के लिए स्पष्ट अनुदेश होंगे ।";

(ग) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, परन्तुक में,--

(i) "या सुक्रालोस" शब्दों के पश्चात् "या नियोटेम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) वाहक या पूरक वस्तुओं की सूची के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"22.एरिथ्रिटोल";

(2) उपनियम (2) में विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"परन्तु यह और कि एस्परेटम (मिथिल ईस्टर) और एसिसुल्फेम के पोटेशियम (2 : 1 के अनुपात में) के मिश्रण को खाद्य मधुकारक के रूप में विपणित किया जा सकेगा और उसमें ऐसे वाहक या पूरक वस्तुएं अंतर्विष्ट हो सकेंगी जो उपनियम (1) में दी गई सारणी के नीचे परन्तुक में और नियम 42 के उपनियम (ययय) के खंड (1) और खंड (2) में यथाउपबंधित लेबल के नीचे उल्लिखित हैं ।"।

4. उक्त नियमों के नियम 47 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"47-क खाद्यों में पोलीओल्स के उपयोग पर निर्बंधन- नीचे दी गई सारणी में उनके सामने दर्शित सीमाओं से अनधिक मात्राओं और इन नियमों की परिशिष्ट 'ग' में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सिवाय किसी खाद्य वस्तु में कोई पोलीओल्स नहीं मिलाया जाएगा और उस पर नियम 42 के उपनियम (ययय) (26) में यथाउपबंधित लेबल घोषणा होगी :—

सारणी

क्र.सं0	पोलीओल्स का नाम	खाद्य वस्तु	अधिकतम सीमा
1.	इस्माल्ट	(i) पारम्परिक भारतीय मिठाइयां (कार्बोहाड्रेट और दुग्ध उत्पाद आधारित) हलवा, मैसूर पाक, बूंदी, लड्डू, जलेबी, खोया बर्फी, पेडा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और इसी प्रकार के दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाइयां, जिनका किसी भी नाम से विक्रय किया जाता है । (ii) इंस्टेट स्वीट मिक्सेस (पोंगल मिक्स, गुलाब जामुन मिक्स, जलेबी मिक्स) (iii) बेकरी उत्पाद (iv) जैम, जेली और मुरब्बे (v) खाने योग्य बर्फ (vi) आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट, मीठा योगहर्ट ।	जीएमपी

2.	एरीथ्रीतल	डेयरी पेय (चाकलेट और फ्लेवर्ड मिल्क), **कार्बोनेटजन्य** पेय, गैर कार्बोनेटजन्य जल आधारित पेय (नान एल्कोहलिक), आइसक्रीम, योगहर्ट, पुडिंग, नान डेयरी टापिंग, बेकरी मिश्रण, केक, कुकीज और पेस्ट्रीज, खाने के लिए तैयार कलेवा, अनाज, साफ्ट केण्डी, चाकलेट और हार्ड केन्डी ।	जीएमपी

47-ख खाद्यों में पालीडेक्सट्रोज का उपयोग- पालीडेक्सट्रोज का उपयोग निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं में जीएमपी के अनुसार अधिकतम स्तर के अधीन और नियम 42 के उपनियम (ययय)(27) में यथाउपबंधित उचित लेबल घोषणा के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा ।

आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट, केक, बिस्कुट, योगहर्ट, व्हिप टापिंग, चीनी क्वथित, कन्फेक्शनरी,**लोजेंजिस,**जेम, फल की जैली, पारम्परिक भारतीय मिठाइयां (कार्बोहाड्रेट और दुग्ध उत्पाद आधारित) हलवा, मैसूर पाक, बूंदी, लड्डू, जलेबी, खोया बर्फी, पेडा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और इसी प्रकार के दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाइयां, जिनका किसी भी नाम से विक्रय किया जाता हो ।"।

5. उक्त नियमों के नियम 61-छ के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"61-ज चीनी आधारित कन्फेक्शनरी में अम्ल ट्रीटेड स्टार्च का उपयोग - चीनी आधारित कन्फेक्शनरी में जीएमपी स्तर से अधिक अम्ल ट्रीटेड स्टार्च का उपयोग किया जा सकेगा ।"।

6. उक्त नियमों की परिशिष्ट 'ख' में, कार्बोनेटीकृत जल से संबंधित मद क.01.01 के पैरा 2 में,-

(क) "100 भाग प्रति दस लाख से अनधिक एस्टरगम (काष्ठ रेजन का ग्लिसरोल एस्टर)" संख्याओं और शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"जीपीएम स्तर से अनधिक जैलन गम";

(ख) "300 पीपीएम से अनधिक सुक्रलोस" संख्याओं और शब्दों के पश्चात् "या 33 पीपीएम से अनधिक नोटेम" संख्या और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त नियमों की परिशिष्ट 'ग' में, -

2203 GI/10-2

(1) सारणी 2 की क्रम संख्यांक ग में, मद संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर स्तंभ 2 के नीचे निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

2
"1. सोर्बिक अम्ल और उसके सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम लवण (सार्बिक अम्ल के रूप में परिकलित)";

(2) सारणी 8 में,-

(क) क्रम संख्यांक छ में,-

(i) इस्टर गम से संबंधित मद संख्यांक 4 के सामने कार्बोनेटयुक्त फ्रूट बीवरेज या फ्रूट ड्रिंक से संबंधित स्तंभ (7) के नीचे निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"100 पीपीएम अधिकतम" ।

(ii) मद संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"8	जैलन गम	-	-	-	-	जीएमपी	-	जीएमपी	-	-	-	-";

(ख) क्रम संख्यांक ञ में, सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट के सामने कार्बोनेटयुक्त फ्रूट बीवरेज या फ्रूट ड्रिंक से संबंधित स्तंभ (7) में "1000 पीपीएम अधिकतम" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी ।

(3) सारणी 9 में,-

(i) क्रम संख्यांक झ में, मद संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
"4	जैलन गम	-	-	जीएमपी	-	-	-	-	-	-	-	-	-";

(4) सारणी 10 में,-

(क) क्रम संख्यांक ट में, मद संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
"5	एस्टर गम	–	–	–	–	100 पीपीएम अधिकतम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	जैलन गम	–	–	–	–	जीएमपी	–	–	–	–	–	–	–	–	–";

(ख) मद संख्यांक ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
"ध	**प्रच्छालक** सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट	–	–	–	–	1000 पीपीएम अधिकतम	–	–	–	–	–	1000 पीपीएम अधिकतम	–	–	–";

(5) सारणी 13 में,-

क्रम संख्यांक ञ के पश्चात् सिलखड़ी से संबंधित मद संख्यांक 1 में चूइंगम/बबलगम से संबंधित स्तंभ 7 में प्रविष्टि " 0.2 प्रतिशत अधिकतम" के स्थान पर "2.0 प्रतिशत अधिकतम" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[सं. पी. 15014/5/2008-पीएच (एफ)]

विनीत चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 2106, तारीख 12 सितंबर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 सं0 351(अ), तारीख 27.4.2010 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2010

G.S.R. 488(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published, as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), number G.S.R. 43(E), dated the 22nd January,2009, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on 30th January, 2009;

And whereas, objections or suggestions received from the public within the specified period on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section of (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely:-

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (3rd Amendment) Rules, 2010.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette except rule 2, which shall come into force after six months from the date of publication of this notification.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter refer to as the said rules), in rule 42, after sub-rule (ZZZ) (25), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(ZZZ)(26) Every package of food containing Polyols shall bear the following label:-

Polyols may have laxative effects

(ZZZ)(27) Every package of food containing Polydextrose shall bear the following label:-

Polydextrose may have laxative effects

".

3. In rule 47 of the said rules,-

(1) in sub-rule(1),-

(a) in the Table,-

(i) against serial number 2 relating to Aspartame(methyl ester), after the entries relating thereto in columns 3 and 4, the following entries shall be inserted namely:-

3	4
"Fruit Nectar	600 ppm
Vegetable Nectar	600 ppm
Ice-cream, frozen dessert and pudding	1000 ppm
Flavoured milk	600 ppm
Ready to Serve Tea and Coffee Beverages	600 ppm
Yoghurt	600 ppm
Ready to eat cereals	1000 ppm
Non-carbonated water based beverages (non-alcoholic)	600 ppm";

(ii) against serial number 3 relating to Acesulfame Potassium, after the entries relating thereto in column 3 and 4, the following entry shall be inserted namely:-

3	4
"Non-carbonated water based beverages (non-alcoholic)	300ppm";

(iii) against serial number 4 relating to sucralose, after the entries relating thereto in column 3 and 4, the following entries shall be inserted namely:-

3	4
"Non-carbonated water based beverages (non-alcoholic)	300 ppm
Jelly Crystals	*300 ppm
Custard powder / ready to eat custard dessert	*260 ppm
Chocolate	800ppm";

(iv) after serial number 4, and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5	Neotame	Carbonated water Soft drink concentrate	33 ppm *33 ppm";

(b) after the Table, in the Explanation II, the paragraph beginning with the words "Maximum limit of artificial sweetener in soft drink concentrate" and ending with the words "reconstitution of products for making final beverage" shall be substituted with the following paragraph, namely:-

"Maximum limit of artificial sweetener in the product shall be as in reconstituted beverage or food or in the final beverage or food for consumption, as the case may be. The product label shall give clear instructions for reconstitution of products for making final beverage or food for consumption as the case may be.";

(c) after Explanation II, in the proviso,-

(i) after the words "or sucralose", the words "or Neotame" shall be inserted;
(ii) at the end of the list of carrier or filler articles, the following shall be inserted namely:-

"22. Erythritol";

(2) in sub-rule (2), after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that mixture of aspartame (methyl ester) and acesulfame K potassium (in ratio 2:1) may be marketed as Table Top Sweetener and may contain the carrier or filler articles as mentioned in the proviso given under the Table in sub-rule (1) and under label declaration as provided in clause (1) and (2) of sub-rule (ZZZ) of rule 42.".

4. after rule 47 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:-

"47–A Restriction on use of Polyols in foods.- No Polyols shall be added to any article of food except mentioned in the Table below in quantities not exceeding the limits shown against them and as per provision contained in Appendix 'C' of these rules and shall bear the label declaration as provided in sub-rule (ZZZ)(26) of rule 42.

Table

Sl. No	Name of Polyols	Article of Food	Maximum Limit
1.	Isomalt	(i) Traditional Indian Sweets (carbohydrates based and milk products based) Halwa, Mysore Pak, Boondi Ladoo, Jalebi, Khoya Burfi, Peda, Gulab Jamun, Rasogolla and similar milk product based sweets sold by any name. (ii) Instant sweetmeat mixes (pongal mix, gulab jamun mix, jalebi mix) (iii)Bakery products (iv)Jams, Jellies and Marmalades (v) Edible ices (vi)Ice-cream, frozen desserts, sweetened yoghurt.	GMP
2.	Erythritol	Dairy drinks (chocolate and flavoured milk), carbonated beverages, non-carbonated water based beverages (non-alcoholic), ice-cream, yoghurt, puddings, non-dairy toppings, bakery mixes, cake, cookies and pastries, ready to eat breakfast cereals, soft candies, chocolate and hard candies.	GMP

47–B Use of Polydextrose in foods.- Polydextrose may be used in following food articles subject to maximum level as per GMP and proper label declaration as provided in sub-rule (ZZZ)(27) of rule 42.

Ice-cream, Frozen dessert, Cakes, biscuits, yoghurt, whip topping, sugar boiled confectionary, lozenges, jam, fruit jelly, Traditional Indian Sweets (carbohydrates based and milk products based) Halwa, Mysore Pak, Boondi Ladoo, Jalebi, Khoya Burfi, Peda, Gulab Jamun, Rasogolla and similar milk product based sweets sold by any name.".

5. After rule 61-G of the said rules, the following shall be inserted, namely:-

"**61-H Use of Acid Treated Starch in Sugar Confectionery.**– Acid Treated Starch may be used in sugar confectionery not exceeding GMP level.".

6. In the said rules, in Appendix 'B', in item A.01.01 relating to Carbonated water, in para-2,-

(a) after the words and figures "Estergum (Glycerol esters of wood rosin) not exceeding 100 parts per million and", the following words and letters shall be inserted, namely:-

"Gellan gum not exceeding GMP level";

– 5–

(b) after the words and figures "Sucralose not exceeding 300 ppm", the words and figures "or Neotame not exceeding 33 ppm" shall be inserted.

7. In the said rules, in Appendix 'C',-

(1) in Table 2, in serial number C, for item number 1, and the entries relating thereto, under column 2, the following item and the entries shall be inserted, namely:-

2
"1. Sorbic Acid and its sodium, potassium and calcium salt (calculated as Sorbic Acid)";

(2) in Table 8,-

(a) in serial number G,-

(i) against item number 4 relating to estergum, under column (7) relating to carbonated fruit beverage or fruit drink, the following shall be inserted, namely:-

"100 ppm maximum";

(ii) after item number 7 and the entries relating thereto, the following item number and the entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"8	Gellan gum	-	-	-	-	GMP	-	GMP	-	-	-	-";

(b) in serial number J, against Sodium Hexameta Phosphate, in column (7) relating to carbonated fruit beverage or fruit drink, the entry "1000 ppm maximum" shall be inserted.

(3) in Table 9,

(i) in serial number I, after item number 3 and the entries relating thereto, the following item number and the entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
"4	Gellan gum	-	-	GMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-";

(4) in Table 10,

(a) in serial number K, after item number 4 and the entries relating thereto, the following item number and the entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
"5	Ester gum	-	-	-	-	100 ppm Max.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Gellan gum	-	-	-	-	GMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-";

(b) after serial number M and the entries relating thereto, the following item number and the entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
"N	**Sequesterant**														
	Sodium Hexameta Phosphate	-	-	-	-	1000 ppm Max.	-	-	-	-	-	1000 ppm Max.	-	-	-";

(5) in Table 13,

after serial number J, in item number 1 relating to Talc, in column 7 relating to Chewing gum / Bubble gum, for the entry "0.2 percent maximum", the entry "2.0 percent maximum" shall be substituted.

[No. P. 15014/5/2008-PH(F)]

VINEET CHAWDHRY, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 2106, dated the 12th September, 1955 and were lastly amended vide notification number G.S.R. 351(E), dated the 27.04.2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.